राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5470/2022

1. डॉ. हंसराज शुक्ला पुत्र श्री शंभुदयाल
2. डॉ. ओम प्रकाश नागर पुत्र श्री बाबूलाल नागर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. राजस्थान विश्वविद्यालय जरिये रजिस्ट्रार, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.10.2022
आदेश की दिनांक : 02.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तनवीर अहमद एवं श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री कमलेश कुमार सैनी, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर पाईंट को अपनाते हुये एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 के अनुसार प्रार्थियों को उप निदेशक, आयुर्वेद वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम/प्रभारी फार्मेसी पर पदस्थापित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थीगण के नाम पर उप निदेशक, आयुर्वेद/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम/प्रभारी फार्मेसी के पद पर

पदोन्नति हेतु विचार किया गया। अपीलार्थी संख्या 1 का नाम क्रम संख्या 445 पर था तथा अपीलार्थी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 480 पर अंकित किया गया। पदोन्नति हेतु 3 पद थे, परंतु पदनाम भिन्न–भिन्न थे। जैसे उप निदेशक, आयुर्वेद, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी फार्मेसी। उप निदेशक के कुल 37 पद हैं और इसी तरह 5 पद प्रभारी फार्मेसी के हैं तथा 458 पद वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के हैं। रिजर्वेशन अनुपात के आधार पर अभ्यर्थियों को पद दिये जाते हैं। अपीलार्थीगण आरक्षित वर्ग से हैं और प्रत्यर्थीगण नियुक्ति दे रहे हैं, परंतु रोस्टर पाईंट को न अपनाते हुये पद पर नियुक्ति दे रहे हैं, जो नियम विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13223/2022 डॉ. हंसराज शुक्ला व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2022 जिसमें अपीलार्थी को यह निर्देश दिये हैं कि अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करें, जिसकी पालना में अपीलार्थीगण ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर पाईंट को अपनाते हुये एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 के अनुसार प्रार्थियों को उप निदेशक, आयुर्वेद वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम/प्रभारी फार्मेसी पर पदस्थापित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आरक्षण नीति के अंतर्गत रोस्टर प्रणाली की पालना करते हुये एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 के अनुसार न्यायहित में उप निदेशक आयुर्वेद, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम/प्रभारी फार्मेसी के पद पर पदस्थापित किये। अपीलार्थी को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया है और निदेशालय अजमेर के आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष में कोई बल प्रकट न होने के आधार पर अपील खारिज फरमाये जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थीगण के नाम पर उप निदेशक, आयुर्वेद/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम/प्रभारी फार्मेसी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। अपीलार्थी संख्या 1 का नाम क्रम संख्या 445 पर था तथा अपीलार्थी संख्या 2 का नाम क्रम संख्या 480 पर अंकित किया गया। पदोन्नति हेतु 3 पद थे, परंतु पदनाम भिन्न–भिन्न थे। जैसे उप निदेशक, आयुर्वेद, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी फार्मेसी। उप निदेशक के कुल 37 पद हैं और इसी तरह 5 पद प्रभारी फार्मेसी के हैं तथा 458 पद वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के हैं। रिजर्वेशन अनुपात के आधार पर अभ्यर्थियों को पद दिये जाते हैं। अपीलार्थीगण आरक्षित वर्ग से हैं और प्रत्यर्थीगण नियुक्ति दे रहे हैं, परंतु रोस्टर पाईंट को न अपनाते हुये पद पर नियुक्ति दे रहे हैं। जहां तक अपीलार्थीगण को रोस्टर पाईंट एवं अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 के अनुसार पदस्थापित नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया है और निदेशालय अजमेर के आदेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये हैं। इस प्रकार हम अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों में एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होने के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य